

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक/निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
30प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2016

विषय:- "स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु अवमुक्त केन्द्रांश की वित्तीय वर्ष 2015-16 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पीएमयू/11/427/2016, दिनांक 14 जनवरी, 2016, पत्र संख्या-पीएमयू/27/427/2015-16, दिनांक 04.02.2016 तथा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-1/25/2015-एसबीएम, दिनांक 19 नवम्बर, 2015 व पत्र संख्या-क्यू-16019/6/यूपी/2015-सीपीएचईईओ, दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश के लिए अवमुक्त केन्द्रांश की कुल धनराशि ₹0 8222.92 लाख (₹0 बयासी करोड़ बाइस लाख बानबे हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र०	शासनादेश एवं दिनांक	कार्यमद	अवमुक्त धनराशि
1.	1/25/2015-एसबीएम, दिनांक 19.11.2015	51,146 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु	1022.92
2	क्यू-16019/6/यूपी/2015-सीपीएचएचओ, दिनांक 21.10.2015	3,60,000 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु	7200.00
		योग	8222.92

(₹0 बयासी करोड़ बाइस लाख बानबे हजार मात्र)

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय, 30प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/ भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (एसबीएम) के पदनाम से खुले राष्ट्रीयकृत बैंक में स्टेट नोडल खाते में रखी जायेगी एवं उक्त स्टेट नोडल खाते से लिंक नगरीय निकायों के स्वच्छ भारत मिशन परियोजना के खोले गये खाते में अन्तरित की जायेगी।
- (2) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।
- (3) स्वच्छ शौचालय के निर्माण (नए, घरेलू स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कार्य घरेलू पिट-युक्त शौचालयों एवं घरेलू अस्वच्छ (बन्धव/उठाऊ/सर्विस) शौचालयों में परिवर्तन का निर्माण कार्य) हेतु लाभार्थी द्वारा 25 प्रतिशत भौतिक प्रगति करने पर ही केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
- (4) अवमुक्त धनराशि का उपभोग भारत सरकार की गाइड-लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश बैंक/पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा, इसका रख-रखाव भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-107-मल-जल सेवाएं-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता (के.25/रा.25-के.+रा.)-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-8-835/दस-16, दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-72/2016/356(1)/जी-5-16-157बजट/15 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 4- निदेशक (एसबीएम), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 7- निदेशक, सीएण्डडीएस, 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,


(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।